

**भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जनपद-शाहजहाँपुर में  
गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 14.11.2022 को  
आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।**

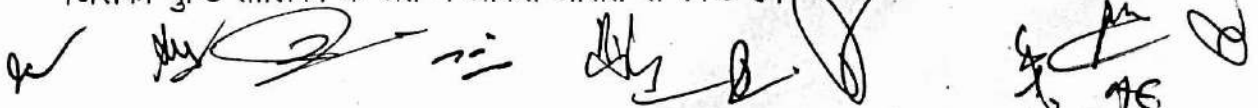
प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0-अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 14.11.2022 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

|    |                                                               |            |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | जिलाधिकारी शाहजहाँपुर                                         | अध्यक्ष    |
| 2  | मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर                                | उपाध्यक्ष  |
| 3  | जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर                                 | सदस्य      |
| 4  | प्रभागीय वनाधिकारी, शाहजहाँपुर                                | सदस्य      |
| 5  | परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर।        | सदस्य      |
| 6  | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहाँपुर                            | सदस्य      |
| 7  | बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर                               | सदस्य      |
| 8  | अधिशाली अभियंता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई शाहजहाँपुर              | सदस्य      |
| 9  | जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर                                  | सदस्य      |
| 10 | जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर                    | सदस्य      |
| 11 | अधिशाली अभियंता वि०/या० उ०प्र० जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर। | सदस्य      |
| 12 | अधिशाली अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर      | सदस्य सचिव |

1. सदस्य सचिव अधिशाली अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म में एन०सी०सी० लि०, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतों (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गये निर्देशों के अनुपालन में प्राकलन विरचित किये गए हैं, जिसकी जल निगम द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० में ली गयी कार्यों की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल०पी०सी०डी० की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 503 नग डी०पी०आर० (496 ग्राम पंचायत) अधिशाली निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 385 नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी क्रम में आज बैठक में पुनः 31 नग डी०पी०आर० (61 ग्राम पंचायत, 109 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 31 नग डी०पी०आर० का तकनीकी परीक्षण किया गया एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ०प्र० जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् है:-

1. योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रु से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत में अंकित औसत से स्पष्ट है।



2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रु 7000 से अधिक है, उन योजनाओं का स्थानीय परिक्षण करा लिया गया है एवं समस्त प्रस्ताव का मूल्यांकन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन में हैड अधिकतम 50 मी० के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी०वी० माड्यूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन 5 परियोजनाओं में रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियंताओं (उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन) शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एवं आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली में सैंड बेडिंग का प्रविधान नहीं किया गया है।
9. जलकल परिसर में सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नहीं है। जिस ग्राम पंचायत में जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है एवं मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एवं इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी०पी०आर० प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नहीं किया गया है।
11. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमें किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नहीं हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओं की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी०पी०आई० द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नहीं किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओं में प्रस्ताव का परीक्षण मौके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एवं इन कार्यों के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उद्देश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त कम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल अपूर्ति हेतु 31 नग डी०पी०आर० जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या-51/2021/1948/छियत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राकलनों को नियमानुसार रु 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति द्वारा प्रदान की जानी है।

उक्त क्रम में बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अन्य निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये-

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा आई०एस०ए० एजेन्सी को निर्देशित किया गया है कि वह प्रस्तुत डी०पी०आर० के सहमति पत्र 30 दिनों के अन्दर जल निगम कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल निगम को निर्देशित किया गया है कि जो भी क्लस्टर अवशेष बचे हुये है उनका आवंटन जल्द से जल्द करवाये।
3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० एन०सी०सी० को डी०पी०आर०, सड़क पुर्नस्थापना, एफ०एच०टी०सी० फीडिंग बढ़ाने और स्टाफ की संख्या बढ़ाने हेतु नोटिस देने के लिये निर्देशित किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 31 नग डी०पी०आर० (61 ग्राम पंचायत, 109 राजस्व ग्राम) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

*[Signature]*  
Ar

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

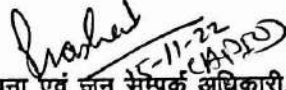
*[Signature]*

  
अधिसासी अभियन्ता  
खण्ड कार्यालय,  
उ०प्र० जल निगम (प्राचीण),  
शाहजहाँपुर।  
(सदस्य सचिव)

  
अधिसासी अभियन्ता  
उ०प्र० जल निगम (वि०/यं०)  
अखण्ड खण्ड, उ०प्र० जल निगम,  
मुरादाबाद।  
सदस्य

  
जिला कृषि अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

  
अधिसासी अभियन्ता  
वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

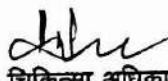
  
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

  
जिला विकास अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
सदस्य

  
बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
शाहजहाँपुर सदस्य।

  
परियोजना निदेशक,  
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,  
शाहजहाँपुर

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
शाहजहाँपुर सदस्य।

  
मुख्य विकास अधिकारी,  
शाहजहाँपुर।  
उपाध्यक्ष

  
जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)  
जिला मेजल एवं स्वच्छता समिति  
शाहजहाँपुर।